"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 —— माघ 27, शक 1939

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक 199/1793/2016/स्था./चार. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

1. अनुसूची–एक में, कॉलम क्रमांक (1) में प्रविष्टि "संचालक" तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"1. संचालक	1	प्रथम श्रेणी	संवर्ग वेतनमान।"

2. अनुसूची–दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्ति की स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से
2.	अपर संचालक	01	–	100%	–	
3.	संयुक्त संचालक	02	–	100%	–	
4.	उप संचालक	07	–	100%	–	
5.	सहायक संचालक	24	30%	70%	–"	

3. अनुसूची–चार में, कॉलम क्रमांक (2) में प्रविष्टि "संयुक्त संचालक" तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"वित्त विभाग	1. संयुक्त संचालक	अपर संचालक	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित आयोग का कोई सदस्य. –अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, वित्त विभाग –सदस्य–सचिव 3. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा –सदस्य"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 8th February 2018

NOTIFICATION

No. 199/1793/2016/Estt./IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Local Fund Audit (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, for the entry "Director" in column number (1) and the corresponding entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
" 1. Director	1	Class-I	Cadre pay scale."

2. For Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE II
(See rule 6)

S. No.	Name of service/posts	Total number of duty post	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6 (1) (a)]	By promotion [See rule 6 (1) (b)]	By transfer/ deputation of person from other services [See rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Director	01	-	-	100%	From Indian Administrative Service (IAS)
2	Additional Director	01	-	100%	-	
3	Joint Director	02	-	100%	-	
4	Deputy Director	07	-	100%	-	
5	Assistant Director	24	30%	70%	-"	

3. In Schedule-IV, for the entry "Joint Director" in column number (2) and the corresponding entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"Finance Department	1. Joint Director	Additional Director	3 years	1. Chairman, Public Service Commission or any Member of the Commission nominated by him. – Chairman 2. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Finance Department -Member- Secretary 3. Director, Local Fund Audit - Member."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHARDA VERMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.